

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक / प () 14/F.C.A./OFC/उवसं/2021/2257

दिनांक :- 29/04/22

निमित्त,
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :- Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

सन्दर्भ :- EDS Dated 18-01-2021 एवं आपका पत्रांक 2110 दिनांक 31.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 613-16 दिनांक 20.01.2021 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में प्रस्ताव के पार्ट-III की पूर्ति कर प्रस्ताव आपके पत्रांक 795 दिनांक 05.02.2021 द्वारा अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को अग्रेषित किया गया था।

प्रकरण में दिनांक 09.03.2021 द्वारा जारी EDS में रिपोर्ट श्रीमान् को इस कार्यालय के पत्रांक 6124-27 दिनांक 15.07.2021 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में पुनः प्राप्त EDS Dated 18-01-2022 अनुसार वांछित आक्षेपों की पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है -

1- Detailed Compensatory Afforestation scheme for plantation of minimum 100 saplings shall be submitted along with maps and kml file.

प्रत्युत्तर-100 पौधे लगाने का प्राक्कलन मय नक्शे व के.एम.एल फॉइल के संलग्न है।

2- Detail of the extent of violation shall be submitted.

प्रत्युत्तर - प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में विस्तृत विवरण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 613-16 दिनांक 20.01.2021 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी छांयाप्रति अवलोकनार्थ पुनः संलग्न प्रस्तुत है।

3-Detail penal NPV calculation shall be submitted for the area violated.

प्रत्युत्तर - प्रकरण में एनपीवी की गणना FCA Handbook (Guidelines & Clarifications) के पार्ट-बी बिन्दु संख्या 1.21 के (ii) a (page 43 Enclosed) के अनुसार निम्नानुसार है-

क्र. सं.	उल्लंघन किया गया वन क्षेत्र है० में	Eco-value class	Type of Forests	NPV की दर प्रति है०	देय राशि रु.	विशेष विवरण
1	0.0667 है०	Class-III (Tropical Dry Deciduous Forests)	Open Forests	957780 /-	319420 /-	निरीक्षण अधिकारी द्वारा उल्लंघन की रिपोर्ट देने की तिथि से जमा कराने की तिथि तक 5 गुना NPV पर 12 प्रतिशत ब्याज दर प्रस्तावित है।

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)

उप वन संरक्षक,

बांसवाड़ा

क्रमांक / प () 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 /

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. 3rd Floor, Metro Tower, Squire Scheme no. 54, Indore (Madhya Pradesh)

ह

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा


कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाडा
विस्तृत व्यय प्रावकलन


कार्य पर होने वाले विस्तृत विवरण वर्ष :- 2022-23		नामवृत्त प. वृत्त, उदयपुर					
नाम वन मण्डल : बांसवाडा		नाम स्कीम : CAMPA					
स्वीकृत क्रमांक :	दिनांक						
कार्य कोड		GPS 23°15200 74°3975					
बजट मद जिसमें व्यय होगा :	CAMPA	स्वीकृत राशि :	/-				
क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण				
1	नाम राजस्व जिला - बांसवाडा	2	नाम रेन्ज - कुशलगढ				
3	नाम तहसील - कुशलगढ	4	नाम पंचायत समिति - कुशलगढ				
5	नाम कार्य - कदवाली पोटलीया (पाटन)	6	नाम वन खण्ड - कदवाली पोटलीया				
7	क्षेत्रफल - 0.50 gS-	8	ग्राम - कदवाली पोटलीया				
9	किस्म कार्य - क्षति पूर्ति प्लान्टेशन	10	निर्माण वर्ष - 2022-23				
11	V.F.P.M.C. - पाटन	12	पौधों की संख्या -100				
क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वे एवं ले आउट (लाईन विलयरेस सहित) [F.D. BSR-B-1-(I)]	0.50	0.50	हे.	158.76	प्र.हे.	79.38
2	खड्डे खुदाई कार्य- [F.D. BSR-B-3.1-(I)]						
I	खड्डे खुदाई हेतु दागबेल देना	100	100	खड्डे	1.03	प्र.खड्डा	103.00
*	खड्डे खुदाई साईज 45×45×45×cm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(vi)]						
I	कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्डर्स में	0	0.00	खड्डे	167.08	प्र.खड्डा	0.00
II	कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्डर्स में	50	4.56	खड्डे	228.82	प्र.खड्डा	1042.56
III	कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	50	4.56	खड्डे	254.02	प्र.खड्डा	1157.38
3	खड्डों का किटनाषक दवा से उपचार करना [F.D. BSR-3-12]	100	100	खड्डे	0.50	प्र.खड्डा	50.00
4	पौधा रोपित करना (पौधे को थेली सहित उपचारित जल से भिगोना, पोलिथिन थेली को काटना एवं पौधे को अलग करना कंकर आदि निकाल कर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना) [F.D. BSR-13-3]						
1	समतल क्षेत्र में बैग साईज 12x30 सेमी [F.D. BSR-3-13 .1.1	100	100	पौधे	5.16	प्र.पौधा	516.00
5	प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्धचन्द्राकार थांवला बनाना जिसका अर्धव्यास कम से कम 50 से.मी हो [F.D. BSR-3.16.1	100	100	पौधे	3.16	प्र.पौधा	316.00
6	पौधा को रासायनिक खाद देना [F.D. BSR- 3.14	100	100	पौधे	0.65	प्र.पौधा	65.00


7	पौधा पर किटनाशक दवा से छिड़काव करना [F.D. BSR- 3.15]	100	100	पौधे	1.13	प्र.पौधा	113.00
8	पौधों को पानी पिलाना (जबकि पानी वृक्षारोपण सील पर उपलब्ध हों ,बाल्टी मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर [F.D. BSR- 3.18.1 महिने में 2 बार 7 महिने तक 14 बार	1400	1400	पौधे	5.68	प्र.पौधा	7952.00
9	पौधों की निंदाई गुड़ाई व मिटटी पलटवाई (कम से कम 50 से.मी. अर्धव्यास तक एवं थावला दुरुस्त करने सहित [F.D. BSR- 3.19.1 4 बार	400	400	पौधे	4.79	प्र.पौधा	1916.00
10	पौधों की केवल गुड़ाई व मिटटी पलटवाई [F.D. BSR- 3.19.12 2 बार	200	200	पौधे	2.33	प्र.पौधा	466.00
11	पौधा रोपण हेतू पौध पर व्यय					LS	4000.00
12	किटनाशक खरीद पर व्यय					LS	1000.00
13	विविध. व्यय					LS	1500.00
						योग :-	20276.32


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यय अनुमान में अंकित दरें श्रीमान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा स्वीकृत बी.एस.आर. क्रमांक 5036-68 दिनांक 24-08-2021 , क्रमांक 7146-48 दिनांक 08-12-2021 एवं & GKN BSR 2021 के अनुसार है ।


उप वन संरक्षक
बाँसवाडा


लेखाकार
बाँसवाडा


सहायक वन संरक्षक
कुशलगढ


क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुशलगढ

कदवाला पाटन 100 पाई/काठपूत प्ला.

at/Lon hddd°mm.mmm' WGS 84

E74° 39.175'

E74° 39.200'

E74° 39.225'

N23° 15.225'

N23° 15.200'

N23° 15.175'

N23° 15.150'

N23°

N23° 15.200'

N23° 15.175'

N23° 15.150'

N23° 15.125'


E74° 39.125'

E74° 39.150'

E74° 39.175'

E74° 39.200'

E74° 39.225'



MN TN

0.1'

1/1/2010

Global Map

patan c 2022 0.62

GARMIN.

कार्यालय उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

क्रमांक / प () 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 613-16

दिनांक :- 20.01.2021

निमित्त,
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :- Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न है) के अनुसार नियमों से भली-भांति विज्ञ होने के बावजूद भी यूजर एजेंसी के द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन कि कार्यवाही से बचने कि मंशा से दिनांक 21.09.2020 की रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वन भूमि में चोरी-छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97-21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर यूजर एजेंसी से ₹1,50,000 दण्डात्मक राशी वसूल की गई है (तत्संबंधित पत्रादी की छायां-प्रतियां संलग्न है)।


यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 1482.21 रनिंग मीटर की लंबाई में OFC बिछाया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में उल्लंघन संबंधी कार्य करवाया जा चुका है एवं 282.21 रनिंग मीटर की लंबाई में कार्य करवाया जाना अब भी शेष है। उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि का अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2021 को मौका निरीक्षण कर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सत्यापन किया गया है तदनुसार उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

कमश: 2 पर

क्र. सं.	वन खण्ड का नाम	कं. नं.	राजस्व ग्राम	प्रभावित खसरा नंबर	कार्य निष्पादीत करवाए जाने की दिनांक एवं समय	वांछित कार्य हेतु आवश्यक वन भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)	उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का क्षेत्रफल (हे.में)
1	कदवाली पोटलिया	2	पोटलिया, हल्दुपाड़ा, पाटन	125/2, 132, 182, 548/125	दिनांक 21.09.2020 कि रात्रि में।	0.0667	0.0540

मौका निरीक्षण करने पर यह भी पाया गया है कि यूजर एजेंसी के द्वारा बिना सक्षम अनुमति के 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में बिछा दी गई OFC को क्षेत्रिय के द्वारा निर्देशित करने के बाद भी वन भूमि से नहीं हटाया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव में इस कार्यालय के स्तर से आवश्यक समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा


क्रमांक / प () 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 613-16

दिनांक :- 20.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh)

ओम प्रकाश



उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Handbook of

Forest (Conservation) Act, 1980

and

Forest Conservation Rules, 2003

(Guidelines & Clarifications)



Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Government of India

2019

of the Forest Department of the State to the Ministry of Environment, Forests & Climate Change Government of India, New Delhi and formal enquiry shall be conducted by the Regional Office of the MoEF&CC.

(ii) In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

- a. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made. ✓
- b. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (a) above.
- c. State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.
- d. User agency responsible for violation shall be prosecuted under local Act of the State for unauthorized use of forest land without the permission of State authority.

(iii) Violation /noncompliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act.

In such cases the penalty will be imposed on the recommendation of the APCCF Regional office in whose jurisdiction the alleged violation has occurred. The violation will be reported to REC/FAC and the committee will give time to comply the conditions within stipulated time.

- a. In case the offence is proved then the penalty shall be imposed for violation committed over forest area without approval equal to twice the normal NPV.
- b. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (a) above.

(iv) Violation on account of change of land use in the approved mining plan:

- a. No penalty is to be imposed for such violation if the change is as per change in mining plan duly approved by competent authority. User agency shall intimate all approvals related to change in mining plan to the regional office within one month of approval. In other cases, change in land use plan shall not be carried out without prior approval of MoEF&CC under the provisions of FCA 1980.
- b. Any violation of change in land use (other than mining operations), penalty of two times the NPV plus simple interest 12 per cent from the date of actual violation committed will be imposed.
- c. In case the approved change in mining plan is not intimated within one month of the approval the same fine shall be imposed as in para IV(b).

If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed on user agency.

1.22. Zoo, Rescue, Rehabilitation Center and captive breeding facility

Zoo, Rescue, Rehabilitation Center and Captive breeding facility for wild life management is treated as a forestry activity for the purpose of applicability of